



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

संख्या :: 86/01/E-01/DR/PCS/2025-26

दिनांक :: 16 जून, 2025

विज्ञाप्ति

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)-2025

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-A-1/E-1/PCS-2025/2025-26 दिनांक 07 मई, 2025 के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)-2025 का आयोजन दिनांक 29 जून, 2025 (रविवार) को दो सत्रों में उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के 24 नगरों में स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है:-

क्र०सं०	परीक्षा तिथि	समय	सत्र	विषय
1.	29 जून, 2025 (रविवार)	प्रातः 10.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक	प्रथम सत्र	सामान्य अध्ययन (General Studies)
		अपराह्न 2.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक	द्वितीय सत्र	सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा (General Aptitude Test)

02— उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र (Admit-Card) दिनांक 18 जून, 2025 (बुधवार) से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश-पत्र (Admit-Card) प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

03— प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं श्रुतलेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों में से 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-4(I) में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-4(II) में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र तथा श्रुतलेखक की दो आवक्ष (पासपोर्ट साइज़) फोटो, श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक-तालिका एवं प्रमाण-पत्र, श्रुतलेखक के आधार-कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

04— प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुतलेखक लाने का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों में से 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को उक्त विज्ञापन के परिशिष्ट-5(I) में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-5(II) में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र तथा श्रुतलेखक की दो आवक्ष (पासपोर्ट साइज़) फोटो, श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक-तालिका एवं प्रमाण-पत्र, श्रुतलेखक के आधार-कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है।

05— प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अपने ऑनलाइन आवेदन—पत्र में आयोग से श्रुतलेखक उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को विज्ञापन के परिशिष्ट—4(I) (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता हेतु) अथवा परिशिष्ट—5(I) (40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता हेतु) पर नियत प्रारूप में प्रमाण—पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

ऑनलाइन आवेदन—पत्र में आयोग से श्रुतलेखक उपलब्ध कराने का विकल्प चयनित करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जो उक्त प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराएंगे, उन्हें हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा तथा परीक्षा की तिथि से 02 दिन पूर्व अर्थात् दिनांक **27 जून, 2025** को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय में उपस्थित होकर दिव्यांगजन अभ्यर्थी आयोग द्वारा अनुमन्य श्रुतलेखक से मिल सकते हैं।

06— दिव्यांगजन अभ्यर्थी उपर्युक्त परिशिष्ट आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध प्रश्नगत परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन से डाउनलोड कर सकते हैं।

07— प्रश्नगत विज्ञापन के अनुक्रम में ऑनलाइन आवेदन—पत्र में श्रुतलेखक का दावा करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को बिन्दु सं 03, 04 एवं 05 में वांछित अभिलेख दिनांक **23 जून, 2025** (सोमवार) तक डाक अथवा किसी अन्य माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार—**249404** के कार्यालय में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। आयोग द्वारा निर्धारित उक्त तिथि तक वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक अनुमन्य किया जाएगा। ई—मेल के माध्यम से उक्त अभिलेख/प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

08— आयोग द्वारा नियत अंतिम तिथि **23 जून, 2025** (सोमवार) के पश्चात श्रुतलेखक उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित किसी भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।